



॥ ओ३म् ॥

गुरुकुल कांगड़ी (समविश्वविद्यालय) हरिद्वार  
(यू०जी०सी० एक्ट 1956 के सेक्शन 3 के अन्तर्गत समविश्वविद्यालय)  
GURUKULA KANGRI (Deemed to be University) HARIDWAR  
(Deemed to be University u/s 3 of UGC Act 1956)

पत्रांक: GK(DU)/Estt./ 181

नवम्बर-2022

10 NOV 2022

कार्यालय आदेश

आदेशानुसार गुरुकुल कांगड़ी (समविश्वविद्यालय), हरिद्वार में अनुरक्षण अनुदानान्तर्गत मुख्य परिसर/कन्या गुरुकुल परिसर, हरिद्वार/देहरादून के प्रोफेसर पद पर स्थायी शिक्षक एवं शिक्षिकाओं को सूचित किया जाता है कि जो शिक्षक एवं शिक्षिकाएँ यू०जी०सी० रेगुलेशन 2018 के अनुसार वरिष्ठ प्रोफेसर पद पर प्रौन्नति हेतु निर्धारित योग्यता पूर्ण करते हैं वे समविश्वविद्यालय की वेबसाईट पर अपलोड प्रारूप को पूर्ण रूप से भरकर तथा समस्त प्रपत्रों को संलग्न कर उचित माध्यम से दिनांक 30.11.2022 तक कुलसचिव कार्यालय में जमा कराने का कष्ट करें।

कुलसचिव

प्रतिलिपि:-

1.	मान्य कुलपति जी, सूचनार्थ	
2.	वित्ताधिकारी	
3.	निदेशक -IQAC (आन्तरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ), डीन- रिसर्च	
4.	कोर्डिनेटर, कन्या गुरुकुल परिसर, हरिद्वार	
5.	कोर्डिनेटर, कन्या गुरुकुल परिसर, देहरादून	
6.	समस्त सकायाध्यक्ष	
7.	समस्त विभागाध्यक्ष	
8.	डॉ० निशांत, वेबसाईट एडमिनिश्ट्रेटर	
9.	कुलसचिव कार्यालय	

कुलसचिव